- 110

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक – एफ 19–6/2009/12/1 भोपाल, दिनाँक – 24/6/09

अधिसूचना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का संख्यांक 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 68 में, उपनियम (1) में, खण्ड (एक) के पश्चात, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्

"(दो) ऊपर खण्ड (एक) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन निर्माणाधीन या निर्मित की जाने वाली सड़कों की दशा में, मुरम की अनुज्ञा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण के महाप्रबंधक द्वारा प्राधिकृत ठेकेदारों को दी जाएगी और ऐसी अनुज्ञा जारी की जाने के पूर्व, उनके द्वारा खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी और जारी की गई अनुज्ञा की प्रति इन विभागों को पृष्ठांकित की जाएगी और महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, कलेक्टर कार्यालय से अग्रिम रूप से अभिवहन पास प्राप्त करेंगे और वह ठेकेदारों को जारी किए गए अभिवहन पास तथा उनके द्वारा उत्खनित गौण खनिज की मात्रा का विवरण संबंधित कलेक्टर को प्रत्येक तीन माह में प्रेषित करेंगे तथा उत्खनित गौण खनिज की मात्रा के आधार पर रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा रायल्टी की रकम महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष में 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को नियम 10 के उपनियम (3) में विहित किए गए आगम प्राप्ति शीर्ष में जमा की जाएगी"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अ. देशवाल

(अशोक देशवाल)
उप सचिव
म.प्र.शासन, खनिज साधन विभाग

-111-

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
MINERAL RESOURCES DEPARTMENT
MANTRALAYA

S.No. - F 19-6/2009/12/1 Bhopal, Dated : 24/6/09

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Minor Minerals Rules, 1996, namely :-

Amendment

In the said rules, in rule 68, in sub-rule (1), after clause (i), the following new clause shall be inserted, namely :-

"(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) above, in case of roads under construction or to be constructed under the Prime Minister Rural Road Scheme, the permits of murrum shall be given by the General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority to the authorized contractor and prior to issuing of such permit, no objection from Mining, Revenue and Forest Department shall be obtained by them and copy of the permit issued shall be endorsed to these departments, and the General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority shall obtain Transit Pass Book in advance from office of the Collector and he shall issue the transit pass to contractor and shall furnish information regarding transit passes issued to the contractors and quantity of the minor mineral excavated in every three months to the concerned Collector and shall ensure payment of royalty on the basis of quantity of minor mineral excavated, and the amount of royalty shall be deposited by the General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority every year on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March in the receipt head prescribed in sub-rule (3) of rule 10."

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh,

adeswal

(ASHOK DESWAL)
Dy. Secretary
Mineral Resources Deptt

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्रमांक. 8024 / 22 / वि–12 / म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. / SD / 09 भोपाल, दिनांक 7 / 07 / 2009

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ...
जिला – ....

विषयः—मुरूम की अनुज्ञा म.प्र. ग्रामीण सड़क के महाप्रबंधकों द्वारा प्राधिकृत ठेकेदारों को दी जाने बावत्।

संदर्भः—म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 19–6 / 2009 / 12 / 1 भोपाल दिनांक 24.06.2009

उक्त अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन निर्माणाधीन या निर्मित किए जाने वाले सड़कों की दशा में, मुरम की अनुज्ञा म.प्र. ग्रामीण सड़क के महाप्रबंधकों द्वारा प्राधिकृत ठेकेदारों को दी जा सकेगी एवं ऐसी अनुज्ञा जारी करने के पूर्व, उनके द्वारा खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी। इस अधिसूचना की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र सिंह)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

पृ. क्रमांक. 8025 / 22 / वि–12 / म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. / SD / 09 भोपाल, दिनांक 7 / 07 / 2009

प्रतिलिपिः

1. मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, इंदौर, जबलपुर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

आवक क्र. 611
दिनांक 17/7/09
... सड़क विकास प्राधिकरण ...